नैक द्वारा मूल्यांकित

विवरणिका
एवं
प्रवेश आवेदन-पत्र

सत्र 2019-20

27
गौरवशाली वर्ष

स्थापना वर्ष 1992

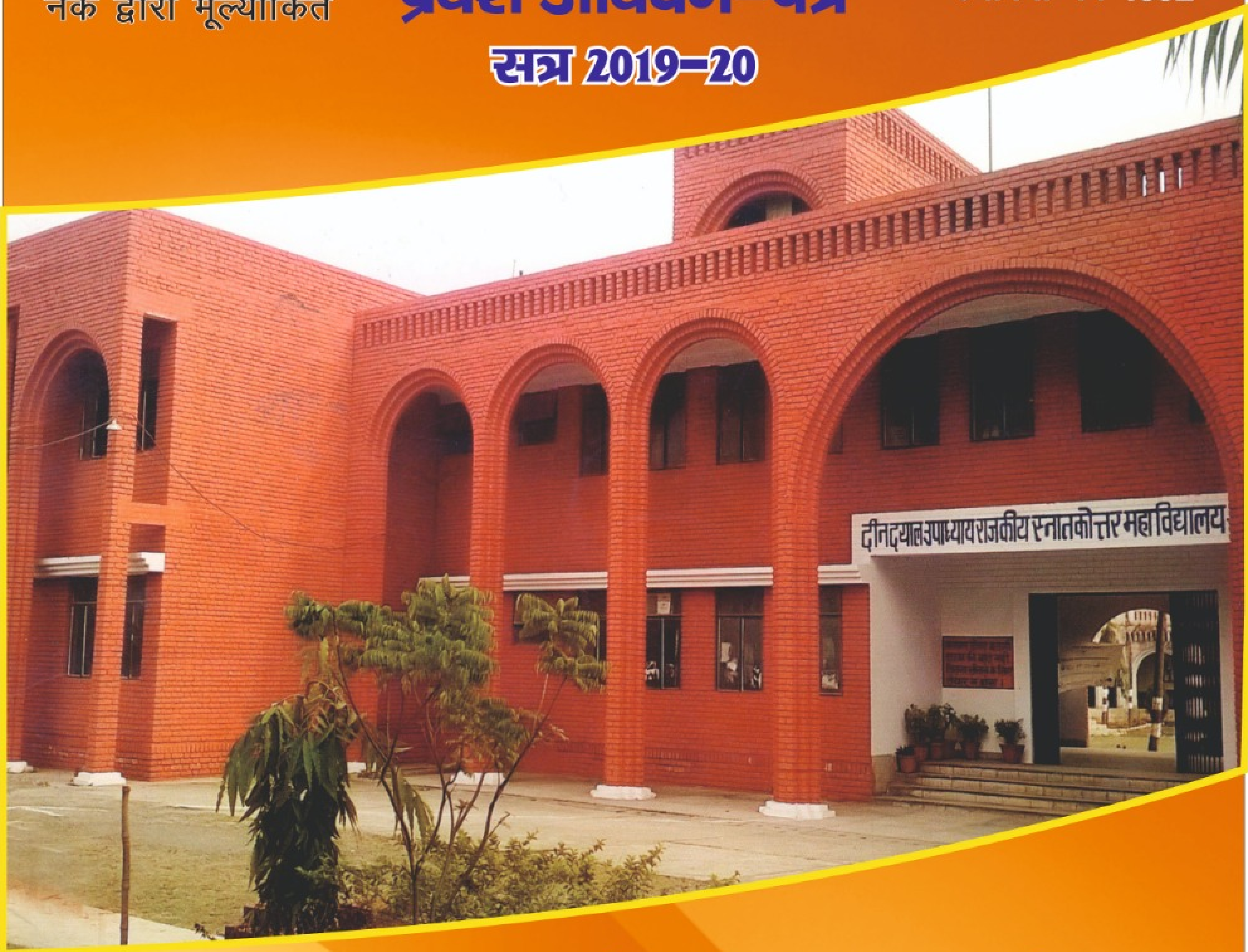

दीन दयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सीतापुर, उ0प्र0

(सम्बद्ध छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर)

दूरभाष एवं फैक्स : (05862)252006

Website : www.ddugpgcsitapur.com   f @ddugpgcsitapur

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. स्नातक / परास्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि - 10 मई से 20 जून, 2019 तक
2. स्नातक / परास्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि -07 जून से 20 जून, 2019 तक
3. स्नातक / परास्नातक प्रथम वर्ष योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) प्रकाशन तिथि - 09 जुलाई 2019 तक
4. बी0ए0 / बी0काम0 / बी0एस0सी0 द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा
   एम0काम0 द्वितीय वर्ष के प्रवेश आवेदन पत्र वितरण की तिथि - 03 जून से 27 जून, 2019 तक
5. स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश की तिथि - 03 जुलाई से 10 जुलाई, 2019 तक
6. सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि - विश्वविद्यालय निर्देशानुसार
7. बी.ए. /बी.एस.सी. /तथा बी.काम. प्रथम वर्ष के परीक्षा फार्म भरने की तिथि - विश्वविद्यालय निर्देशानुसार
8. छात्रावास आवेदन की अंतिम तिथि- - 20 जुलाई, 2019
9. प्रवेश एवं महाविद्यालय सम्बन्धी समस्त सूचनाएं महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर देखें।

11. विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org पर देखें

12. नया सत्र प्रारम्भ। - 02 जुलाई, 2019

विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के लिए छात्र/छात्रा स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नोट

किसी भी तिथि के परिवर्तन की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी।

महाविद्यालय कुल गीत

नैमिष का पावन यह अंचल, करते इसकी सतत् नमन्।
सिद्धपीठ ललिता देवी का, करते हैं हम आराधन।।

व्यासपीठ, ऋषियों की धरती, होता नित भगवत् चिन्तन,
शुचिता आवे जन-मन अन्तः, प्रमुदित हो जन-जन जीवन।
सीता जी का पूत अवनि यह, अवध प्रान्त का है चन्दन,
नैमिष का पावन यह अंचल, करते इसको सतत् नमन।।

ऋषि दधीचि का त्याग कुण्ड है, साधक जन का है उपवन,
जन्मेजय के नाम यज्ञ मय, धर्म साधना का कानन्।
नरोत्तम दास का गांजर है यह, सृजन कर्म उन्नत साधन,
नैमिष का पावन यह अंचल, करते इसको सतत् नमन्।।

नाथ पंथ का हठ-मठ है यह, योग साधना का नन्दन,
मछरेहटा मछेन्द्र की नगरी, करते हम इसका वन्दन।
'मिश्र बन्धु' की वाणी मुखरित, वाणी का नीरव गुन्जन,
नैमिष का पावन यह अंचल, करते इसको सतत् नमन्।।

राजमार्ग का निकट खड़ा यह, अपना महाविद्यालय बन,
कलुष शमन उत्तम सह-शिक्षा, का यह आलय है पावन।
अज्ञान म्लान जड़ता का नित-प्रति, होता रहता है छालन,
नैमिष का पावन यह अंचल, करते इसको सतत् नमन्।।

मेट कलुष अरू ज्ञान ज्योति जल, हम बन जाते कुन्दन,
शांत धवल कमनीय भूमि पर, हंस वाहिनी का विचरन।
सत् पथ गामी बने सतत् हम, फैले ज्योतित नयी किरण,
नैमिष का पावन यह अंचल, करते इसको सतत् नमन्।।

– डॉ. एम.पी. साहनी
(पूर्व प्राचार्य)

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास

नैमिषारण्य की पावन तपोस्थली हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर है। मनन और चिन्तन यहाँ की परम्परा है। यहाँ पर अनेक ऋषियों और मुनियों ने साधना की है। प्रकारान्तर से यह साधना और सृजन की स्थली है। वेदों और पुराणों की रचना इसी अंचल में हुई है। यह पौराणिक महत्व का अंचल है। सीतापुर की यह पवित्र भूमि ऋषि दधीचि जैसे मनीषियों की त्याग स्थली है। लम्बे समय से यहाँ उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक राजकीय महाविद्यालय की मांग की जाती रही है। जन अपेक्षाओं एवं आशाओं के अनुरूप उ0प्र0 शासन ने शासनादेश सं0 4708/15-17-92-74 (21) 42 के द्वारा इस नगर में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की। प्रथम चरण में भवन निर्माण हेतु रु0 75.00 लाख शासन द्वारा आवंटित हुआ, साथ ही प्राचार्य एवं 02 तृतीय और 05 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पद सृजित हुआ। प्रारम्भ में यह महाविद्यालय आई0टी0आई0, सीतापुर के परिसर में प्रारम्भ हुआ और डॉ0 एस0के0 गुप्ता ने 07.07.1993 को प्रथम प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला।

ग्राम समाज द्वारा उपलब्ध करायी गयी लगभग 5 एकड़ भूमि पर 20 कमरों का प्रशासनिक भवन बनकर तैया हुआ और कक्षाएं नये भवन में चलने लगीं। महाविद्यालय आई0टी0आई0 से अपने निजी भवन में आ गया। यह महाविद्यालय सीतापुर-लखनऊ राजमार्ग के दक्षिण पूर्व में सीतापुर से लखनऊ की दिशा में पांचवें किलोमीटर पर स्थित है।

महाविद्यालय में वाणिज्य के शिक्षण कार्य के साथ-साथ जनपद में सन् 1995 में विज्ञान वर्ग में गणित तथा जीव विज्ञान वर्ग को मान्यता शासनादेश सं0 2114/15-17-94-74 (21) 92 दिनांक 04.02.1995 द्वारा प्राप्त हुई। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में एक-एक प्रवक्ता तथा 04 प्रयोगशाला सहायक एवं 04 प्रयोगशाला परिचर के पद सृजित हुए। विज्ञान वर्ग का पठन-पाठन प्रारम्भ हो गया।

महाविद्यालय में वाणिज्य शिक्षा के विकास का क्रम रुका नहीं परिणास्वरूप 1996 में एम0काम0 की शिक्षा के लिए शासन से अनुमति तथा कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता मिली। 1997 में एम0काम0 की प्रथम परीक्षा सम्पन्न हुई।

1999 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के द्वारा विज्ञान भवन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के दौरान महाविद्यालय का नाम दीन दयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीतापुर शासनादेश सं0 744/70-5-99-40 (13) 97 दिनांक 26 मार्च 1999 के द्वारा कर दिया गया।

दस वर्ष के उपरानत शासनोदश सं0 225/70-5-2001 दिनांक 19.10.2001 के द्वारा महाविद्यालय को स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर पर प्रोन्नत किया गया।

1. शासनादेश सं0-ई.सं. 2100/जी.एस. दिनांक 27.10.2006 द्वारा सत्र 2007-08 से महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में स्नातक कक्षाओं की सम्बद्धता प्राप्त हुई।
2. सत्र 2006-07 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्तशासी संस्था (NAAC) द्वारा महाविद्यालय का मूलयांकन एवं प्रत्याय दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2007 की अवधि में किया गया। जिसके अन्तर्गत नैक टीम के पदाधिकारियों ने महाविद्यालय में सीमित संसाधनों के रहते हुए प्राप्त उपलब्धियों की सराहना की एवं भविष्य में महाविद्यालय के विकास हेतु सुझाव दिये। उक्त स्वायत्त संस्था द्वारा महाविद्यालय को 'सी++' (C++) ग्रेड सहर्ष प्रदान किया गया है।

प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान

स्नातक स्तर :-

1.	बी0एस-सी0 प्रथम वर्ष (गणित वर्ग) (क) भौतिक विज्ञान (ख) गणित (ग) रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा	-	90
2.	बी0एस-सी0 प्रथम वर्ष (जीव विज्ञान वर्ग) (क) जन्तु विज्ञान (ख) वनस्पति विज्ञान (ग) रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा	-	90
3.	बी0ए0 प्रथम वर्ष (क) हिन्दी साहित्य (ख) अंग्रेजी साहित्य (ग) अर्थशास्त्र (घ) इतिहास (ड़) राजनीति शास्त्र (च) शारीरिक शिक्षा। इनमें से कोई तीन विषय	-	360
4.	बी0काम0 प्रथम वर्ष	-	120

परास्नातक स्तर :-

5.	एम0काम0 पूर्वार्द्ध	-	50

नोट :

1. स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा एम0काम0 में पिता के शासकीय स्थानान्तरण की दशा में छोड़कर अन्य किसी दशा में बाहरी प्रवेशार्थियों का प्रवेश नहीं होगा।
2. शारीरिक शिक्षा विषय केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रवेशार्थियों को ही दिया जाएगा। विकलांग प्रवेशार्थी शारीरिक शिक्षा विषय में प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
3. शारीरिक शिक्षा विषय लेने वाले प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय एम0बी0बी0एस0 डाक्टर द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रवेश केवल मेधा सूची (मेरिट) के आधार पर ही होगा। इसके लिए वरीयता सूची निम्नवत बनाई जायेगी-

1) इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक

2) व्यावसायिक एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों को छोड़कर (जो अन्य विनियामक संस्थाओं के विनियमों के अधीन संचालित होते हैं) अन्तिम परीक्षा/उपाधि प्राप्त करने से पाँच वर्ष के अन्तराल तक प्रवेश के इच्छुक छात्रों की मेरिट में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत अंकों की कटौती कर उनकी वरीयता निर्धारित करते हुए प्रवेश दिया जा सकेगा।

3) खेल-कूद/क्रीड़ा।

(अ) प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग हेतु - 10 अंक

नोट :- प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग का अर्थ है कि छात्र/छात्रा ने मण्डलीय/प्रदेशीय टीम में चयन के पश्चात् प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो।

(ब) एन0सी0सी0 'बी' सर्टीफिकेट - 10 अंक

(स) एन0सी0सी0 'सी' सर्टीफिकेट - 15 अंक

नोट :- अ, ब तथा स के आधार पर कुल वरीयता 15 अंक से अधिक नहीं होगी।

(द) कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के कार्यरत प्राध्यापक/कर्मचारियों के पाल्य के लिए - 10 अंक

(य) इस महाविद्यालय के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री यदि वि0वि0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हैं तो उन्हें उनके वर्ग में प्रवेश दिया जायेगा।

2. एम0काम0, बी0काम0, बी0एस-सी0 एवं बी0ए0 (प्रथम वर्ष) कक्षाओं में आवेदन करने हेतु सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों के न्यूनतम निम्नांकित अंक होना अनिवार्य है-

(1) ए0काम0 पूर्वार्द्ध	-	बी0काम0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत।
(2) बी0काम0 प्रथम वर्ष	-	इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत।
(3) बी0ए0 प्रथम वर्ष	-	इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत।

विज्ञान वर्ग- बी0एस-सी0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा में प्रायोगिक एवं लिखित में पृथक-पृथक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

वाणिज्य वर्ग- बी0काम0 प्रथम वर्ष में केवल इण्टरमीडिएट वाणिज्य वर्ग एवं व्यावसायिक (वाणिज्य वर्ग) के अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे।

- विशेष परिस्थितियों में विज्ञान एवं कला वर्ग के प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु मेरिट बनाते समय उनके 25 अंक कम कर दिये जाएंगे। ऐसे प्रवेशार्थियों के इण्टर में न्यूनतम 50% अंक होना आवश्यक है।
- व्यावसायिक (वाणिज्य वर्ग) के बी0काम0 (प्रथम वर्ष) के प्रवेशार्थियों को वाणिज्य वर्ग के समकक्ष लाने हेतु निम्नानुसार मेरिट बनाई जाएगी-

$$\{\text{कुल प्राप्तांक (व्यावसायिक वर्ग) – प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक}\} \times \frac{5}{6}$$

नोट - व्यावसायिक वर्ग के एकाउन्ट एवं आडिटिंग विषय के साथ उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जायेग अन्य को नहीं।

कला वर्ग - बी0ए0 प्रथम वर्ष में कला वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग के छात्र भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे किंतु मेरिट बनाते समय उनके 25 अंक कम कर दिये जाएँगे।

इण्टरमीडिएट कृषि विषय से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को बी0ए0 में प्रवेश हो सकता है। ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं (दोनों) की अंकतालिका संलग्न करना अनिवार्य है। कृषि एवं व्यावसायिक विषय के प्रवेशार्थियों को कला वर्ग के प्रवेशार्थियों के समकक्ष लाने हेतु निम्नानुसार मेरिट बनाई जाएगी।

$$\{\text{कुल प्राप्तांक (व्यावसायिक वर्ग) - प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक}\} \times \frac{5}{6}$$

बी0ए0 (प्रथम वर्ष) में किसी विषय में निर्धारित संख्या में अधिक आवेदक होने पर मेरिट के आधार पर विषयों का आवंटन किया जायेगा।

आरक्षण

शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा और तद्नुसार प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया में आरक्षण नियम प्रभावी होंगे।

(क) अनुसूचित जाति	-	21 %
(ख) अनुसूचित जन जाति	-	02 %
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27 %

(घ) आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रावधान उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार लागू होंगे।

क्षैतिज आरक्षण :-

नोट : (1) (क) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक के पाल्य के लिए मिलाकर 5% क्षैतिज आरक्षण रहेगा। (भूतपूर्व सैनिक के श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों/अपंग सैनिकों के पाल्य हैं)

(ख) महिला प्रवेशार्थियों को शासनादेश के अनुसार उनके संवर्ग में प्रवेश हेतु 20% आरक्षण दिया जायेगा।

(2) यदि आरक्षित सीटों में से कोई सीट पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. प्रवेश आवेदन पत्र विवरणिका सहित प्राचार्य कार्यालय से रु0 150/- नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक स्पष्ट एवं स्वच्छ अक्षरों में पूरित कर कार्यालय में जमा करना होगा।
3. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों का होना अनिवार्य है:-
   (क) हाईस्कूल परीक्षा एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की स्वप्रमाणित अंक तालिका। बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टर कृषि वर्ग के प्रवेशार्थियों को 11वीं उत्तीर्ण अंकतालिका भी संलग्न करना अनिवार्य है।
   (ख) गैप वर्षो के प्रकरण में शपथ-पत्र तथा गैप वर्षों हेतु अतिरिक्त चरित्र प्रमाण-पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त) मूल रूप में देना आवश्यक है।
   (ग) व्यक्तिगत छात्र रहे हों तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में देना आवश्यक है।
   (घ) आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. खेलकूद अथवा अन्य प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
6. जाति प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षित वर्गों के लिए) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत की गयी, स्वप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।
7. समस्त प्रवेशार्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8. प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय ही अपने विषय निश्चित करने होंगे। प्रवेश के बाद विषय परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
9. वाणिज्य संकाय में जो प्रश्न पत्र पढ़ाये जायेंगे वही विषय/प्रश्नपत्र छात्रों को लेना होगा। महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों से इतर विषय भरने वाले छात्रों का परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय नहीं भेजा जायेगा।
10. प्रवेश हेतु साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी। व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक से सूचना नहीं दी जायेगी। साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित न होने की दशा में प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर आगे के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे दिया जायेगा।
11. प्रतीक्षा सूची में आने वाले प्रवेशार्थियों को अपनी उपस्थिति सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक आवश्यक रूप से दर्ज कराना अनिवार्य है। निर्धारित समय के बाद उपस्थित होने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
12. प्रवेश के समय प्रथम वर्ष के समस्त प्रवेशार्थियों को अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
13. साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. प्रवेश समिति छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार करके अपनी संस्तुति प्राचार्य को देगी। प्रवेश संस्तुति एवं स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई समस्त अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्रों पर प्रवेशार्थी अपने हस्ताक्षर अंकित करें।
16. साक्षात्कार के समय समस्त मूल अंकपत्र, प्रमाण-पत्र आदि लाना अनिवार्य है।
17. प्रवेश देने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्राचार्य बिना कारण बताये प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है।
18. भारांक (Weightage) हेतु उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त कोई भी अतिरिक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
19. प्रवेशार्थी को साक्षात्कार के समय रंगीन पासपोर्ट साइज को दो फोटो लाना अनिवार्य है। (प्रवेश आवेदन-पत्र सहित सभी फोटो एक जैसी हों)

निम्नलिखित परिस्थितियों में महाविद्यालय में प्रवेश सम्भव नहीं है।

1. जो गत वर्ष किसी भी विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो।
2. जो गतवर्ष विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से रोक दिये गये हों अथवा जिनका परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग करने के अभियोग में रोक दिया गया हो।
3. जिन्होंने महाविद्यालय की किसी कक्षा में गतवर्ष में प्रवेश लिया हो किन्तु किसी भी कारण परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों।
4. जिन छात्रों पर भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अन्तर्गत अभियोग में मुकदमा चल रहा हो अथवा दण्ड पा चुके हों।
5. महाविद्यालय स्तर पर अनुशासनहीनता के दोषी छात्र/छात्रा हों।

प्रवेश का आधार

1. प्रवेश का आधार योग्यता, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित नियम होंगे।
2. आरक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन होगा।
3. निर्धारित तिथि के भीतर ही शुल्क जमा करना होगा।
4. किसी भी दशा में आंशिक शुल्क भुगतान स्वीकार नहीं होगा।
5. टी0सी0 तथा चरित्र प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

यूनीफार्म (गणवेश)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य है, गणवेश निम्नलिखित प्रकार का होगा।

छात्र :

1. सफेद कमीज पूरी आस्तीन (प्लेन)
2. पैन्ट काली (जीन्स नहीं) (प्लेन)
3. काला जूता
4. काला मोजा
5. मैरून स्वेटर (प्लेन)/मैरून ब्लेजर कोट।
6. **ट्रैक सूट (केवल शारीरिक शिक्षा विषय के छात्रों हेतु)**

छात्रा :

1. कत्थई कुर्ता ('ए' शेप का)
2. सफेद सलवार (चूड़ीदार पायजामा नहीं)
3. सफेद चुन्नी (प्लेन)
4. काला स्वेटर (प्लेन)
5. काला जूता (वैली)
6. काला ब्लेजर कोट (शॉल नहीं)
7. **ट्रैक सूट (केवल शारीरिक शिक्षा विषय की छात्राओं हेतु)**

महाविद्यालय की समितियाँ

महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।

1. महिला प्रकोष्ठ
2. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
3. कैरियर गाइडेन्स प्रकोष्ठ
4. पूर्व छात्र परिषद्
5. एन्टी रैगिंग प्रकोष्ठ
6. आवश्यक्तानुसार - अन्य समितियाँ

महाविद्यालय में छात्रहित में उपलब्ध सुविधाएँ

पुस्तकालय-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में समस्त कोर्सों से सम्बन्धित पुस्तकों के साथ-साथ सन्दर्भ ग्रंथों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित पुस्तकों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। वाचनालय में विभिन्न समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं।

छात्रावास-

महाविद्यालय के अनुसचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक छात्र प्रवेश के समय आवेदन कर सकते हैं।

CCC/'O' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण-

महाविद्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसमें CCC/'O' लेवल पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रदान किये जाते हैं।

एन.सी.सी.-

महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाई कार्यरत है। इच्छुक छात्रों को A, B तथा C प्रमाण-पत्रों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एन.एस.एस.-

राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई (100 छात्र/छात्राओं) महाविद्यालय में संचालित है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को समाज सेवा के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रशिक्षण के अंत में सभी स्वयंसेवकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

रोवर्स/रेंजर्स-

भारत स्काउट गाइड संस्था के तत्त्वावधान में महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। पूर्व में बहुत से प्रशिक्षित विद्यार्थी राज्यपाल/राष्ट्रपति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं।

कैरियर काउंसलिंग सेल-

महाविद्यालय की कैरियर काउंसलिंग सेल द्वारा विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाती है तथा उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। मेधा फाउंडेशन द्वारा भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

पुरातन छात्र परिषद्-

महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों की एक परिषद महाविद्यालय में कार्यरत है। इस परिषद् के द्वारा समय समय पर पूर्व छात्र/छात्राओं को आमंत्रित कर उनसे महाविद्यालय के विकास हेतु चर्चा की जाती है।

इको रेस्टोरेशन क्लब-

यह क्लब महाविद्यालय के पर्यावरण को संरक्षित करता है तथा समय-सयम पर पर्यावरण जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करता है।

डी.एल.एड (D.El.Ed) स्टडी सेंटर-

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) के डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु एक स्टडी सेण्टर महाविद्यालय में संचालित है जिसमें विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक डी.एल.एड. (D.El.Ed.) का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

वार्षिक शुल्क विवरण

क्रम सं.	मद	धनराशि	क्रम सं.	मद	धनराशि
1.	शिक्षण शुल्क स्नातकोत्तर	180.00	18.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क* -	
2.	शिक्षण शुल्क	132.00		स्नातक	1285.00
3.	विकास शुल्क	20.00		परास्नातक	1485.00
4.	महंगाई शुल्क	42.00	19.	नामांकन शुल्क स्नातक प्रथम वर्ष	100.00
5.	प्रवेश शुल्क	3.00	20.	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (केवल प्रायोगिक विषय)	100.00
6.	पुस्तकालय शुल्क स्नातकोत्तर	5.00			
7.	पुस्तकालय शुल्क स्नातक	3.00	21.	मौखिक परीक्षा शुल्क (केवल बी.काम. / एम.काम. अन्तिम वर्ष)	100.00
8.	प्रयोगशाला शुल्क (प्रति प्रायोगिक विषय)	240.00	22.	परीक्षा आवेदन शुल्क	50.00
			23.	काशन मनी-	
9.	पंखा शुल्क	5.00		क) जीव विज्ञान वर्ग	150.00
10.	क्रीड़ा शुल्क	200.00		ख) गणित वर्ग	100.00
11.	पत्रिका शुल्क	100.00		ग) पुस्तकालय	200.00
12.	वाचनालय शुल्क	70.00	24.	गृह परीक्षा / अन्य अनुषांगिक व्यय	150.00
13.	विषय परिषद शुल्क	28.00	25.	विद्युत शुल्क	175.00
14.	सांस्कृतिक परिषद	15.00	26.	इकोरेस्टोरेशन क्लब	125.00
15.	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	5.00	27.	टी0सी0 शुल्क (स्नातक प्रथम वर्ष)	2.00
16.	कालेज-डे शुल्क	40.00	28.	शैक्षिक विकास शुल्क	100.00
17.	परिचय-पत्र	30.00	29.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	50.00

*** विश्वविद्यालय निर्देशानुसार परिवर्तनीय**

नोट : (1) समस्त शुल्क शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार परिवर्तित भी हो सकते हैं।

(2) परीक्षा सम्बन्धी शुल्क एवं नामांकन शुल्क विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार संशोधित होने पर परिवर्तित हो सकते हैं।

(3) जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।

महाविद्यालय परिवार

प्रोफेसर (डॉ०) नलिनी श्रोत्रिया, प्राचार्य

वाणिज्य संकाय

1.	डॉ. राजीव सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर
2.	डॉ. दीपक सोनी	असिस्टेंट प्रोफेसर

कला संकाय

1.	डॉ. ज्योति साह	एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)
2.	श्रीमती प्रियंका भारती	असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
3.	डॉ. अनुपमा	असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी)
4.	श्री शेखर सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)
5.	डॉ. रनजीत सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेजी)

विज्ञान संकाय

1.	डॉ. राजीव द्विवेदी	असिस्टेंट प्रोफेसर (वनस्पति विज्ञान)
2.	डॉ. अनुपमा सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान)
3.	डॉ. रविंदर कुमार शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)
4.	डॉ. ज्योति	असिस्टेंट प्रोफेसर (जन्तु विज्ञान)
5.	रिक्त	गणित

पुस्तकालय

1.	डॉ. मनोज कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

शारीरिक शिक्षा विभाग

1.	श्री अनूप कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर

कार्यालय

1.	रिक्त	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री रजनीश कुमार	कनिष्ठ लिपिक
3.	श्री दिनेश कुमार सब्बरवाल	प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान
4.	श्री जगदीश प्रसाद	प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान
5.	रिक्त	प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान
6.	रिक्त	प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान
7.	रिक्त	दफ्तरी
8.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
9.	श्री पंचम लाल	कार्यालय परिचारक
10.	श्री राम बालक	कार्यालय परिचारक
11.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
12.	रिक्त	प्रयोगशाला परिचारक
13.	रिक्त	पुस्तकालय परिचारक
14.	रिक्त	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु सुसज्जित प्रयोगशालायें एवं पुस्तकालय तथा वाचनालय

राष्ट्रीय सेवा योजना की झलकियाँ।

राष्ट्रीय सेवा योजना की झलकियाँ।

एन.सी.सी. कार्यक्रम की झलकियाँ

एन.सी.सी. कार्यक्रम की झलकियाँ

रोवर/रेंजर्स कार्यक्रम की झलकियाँ

रोवर/रेंजर्स कार्यक्रम की झलकियाँ

वार्षिक क्रीड़ा समारोह के मुख्य अतिथि डॉ० पी०के० वार्ष्णेय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र०।

वार्षिक क्रीड़ा समारोह

महाविद्यालय में वर्ष पर्यन्त आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ

महाविद्यालय में आयोजित 27वें वार्षिकोत्सव की झलकियाँ

आवश्यक निर्देश

1. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन-पत्र भरने से पूर्व प्रवेश विवरणिका का अध्ययन भलीभाँति करल लें।
2. प्रवेश आवेदन-पत्र पूर्णरूप से भरें। कोई खाना खाली न छोड़ें। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. विभिन्न संकायों में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी को अलग-अलग प्रवेश आवेदन-पत्र भरना अनिवार्य है। किसी भी दशा में प्रवेश आवेदन-पत्र दूसरे संकाय में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा (संकाय का अर्थ कला, विज्ञान व वाणिज्य से है)।
4. विश्वविद्यालय/शासन के नियमों के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
5. विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार स्नातक के सभी संकाय के छात्र/छात्राओं को पर्यावरण अध्ययन विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण किये बिना किसी भी छात्र/छात्रा को उपाधि प्राप्त नहीं होगी। अतः प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रथम वर्ष में ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना श्रेयस्कर होगा।
6. महाविद्यालय में धूम्रपान करना, गुटका खाना एवं पेड़-पौधों को क्षति पहुंचाना, दीवारों को गंदा करना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। उपरोक्त कार्य करते हुए पाये जाने पर रु. 200/- का अर्थदण्ड देय होगा तथा महाविद्यालय से निलम्बन/निष्कासन भी किया जा सकता है।
7. शासनादेशानुसार मोबाइल का कक्षा में प्रयोग करना प्रतिबन्धित है। अनुशासनहीनता पर रु. 500/- का अर्थदण्ड लिया जायेगा।
8. निर्धारित गणवेश (यूनीफार्म) में महाविद्यालय परिसर में आना अनिवार्य है। बिना निर्धारित गणवेश में पकड़े जाने पर महाविद्यालय से निलम्बन/निष्कासन किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतयः प्रतिबन्धित है। शासन/न्यायालय द्वारा इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर छात्र/छात्रा के विरुद्ध विधिनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

मूल्य रु. 150/-